

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

आदेश

श्रीमती कुंवर बाई व्या. हिन्दी, बा0उमावि0 खेतडी- झुंझुनू द्वारा राजस्थान सेवा नियम भाग-11 अध्याय 3 नियम 8 (क) के निर्णय सं. 05 अनुसार अपना नाम कुंवर बाई के स्थान पर श्रीमती कुंवर बाई शेखावत करने की समस्त कार्यवाही/शर्तों को पूर्ण किया है।

अतः कुंवर बाई से संबंधित राजकीय सेवा सम्बन्धी समस्त अभिलेखों में इनका नाम श्रीमती कुंवर बाई के स्थान पर श्रीमती कुंवर बाई शेखावत किये जाने की अनुमति/विभागीय स्वीकृति एतद् द्वारा जारी की जाती है। भविष्य में लक्ष्मीकान्ता देवे से संबंधित आदेश/कार्यों में परिवर्तित नाम " श्रीमती कुंवर बाई शेखावत " से संबोधित किया जावे/जारी किया जावे।



(नथमल डिडेल)

निदेशक


माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

कमांक- शिविरा/मा/संस्था/सी-7/नाम परिवर्तन/14-15

दिनांक- 12/01/18

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1 महालेखाकार, राजस्थान सरकार, जयपुर
- 2 शिक्षा उप निदेशक, माध्यमिक, चुरू
- 3 जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक, झुंझुनू
- 4 संबंधित संस्था प्रधान
- 5 अनुभाग अधिकारी कम्प्युटर, कार्यालय हाजा
- 6 श्रीमती सरिता, बा0उमावि0 खेतडी- झुंझुनू
- 7 रक्षित पत्रावली



संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान

बीकानेर